amaltas
COLLEGE OF EDUCATION

Annexure - 2

सेवा में,
उप सचिव (सम्बद्धता),
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति,
पटना - 800001

दिनांक : 23 - जून - 2022

विषय : नामांकन एवं कोर्स प्रारंभ करने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा निर्धारित समय-सीमा का अनुपालन सम्बन्धी प्रमाण प्रतिवेदन.

महोदय,

नामांकन एवं कोर्स प्रारंभ करने हेतु महाविद्यालय द्वारा बिहार सरकार, शिक्षा विभाग में निदेशक (शोध एवं प्रशिक्षण) द्वारा प्राचार्यों को जारी निम्नलिखित पत्रों को आधार मानते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रक्रियाएं पूरी की गयी हैं:

1. अकादमिक सत्र : 2018-20 : ज्ञापांक :-12 /प्रशि -01 /2016 /136, दिनांक – 04/04/2018
2. अकादमिक सत्र : 2019-21 : ज्ञापांक :-12 /प्रशि -01 /2016 /202, दिनांक – 15/04/2019
   अकादमिक सत्र : 2019-21 : ज्ञापांक :-12 /प्रशि -01 /2016 /377, दिनांक – 05/07/2019
3. अकादमिक सत्र : 2020-22 : ज्ञापांक :-12 /प्रशि -01 /2016 /315, दिनांक – 16/12/2020
4. अकादमिक सत्र : 2021-23 : ज्ञापांक :-12 /विविध -11 /2016 /335, दिनांक – 23/08/2021

विभागाध्यक्ष / प्राचार्य

Amaltas College of Education
Village Indrapuri, District Rohtas, Bihar 821308
www.amaltascollege.com

पत्रांक–12/प्रशि–01/2016.........

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
संकल्प

विषयः– जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, प्रखण्ड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय में दो वर्षीय प्रशिक्षण (डिप्लोमा इन एलिमेन्टरी एडुकेशन) कोर्स में प्रशिक्षुओं के नामांकन के संबंध में निर्गत संकल्प संख्या–463/12.09.2013, संकल्प संख्या–224/22.04.2014, संकल्प संख्या–414/16.07.2014 एवं संकल्प संख्या– 12/प्रशिक्षण–89/2007–204 पटना दिनांक–19.06.2008 द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका में संशोधन।

सरकार के संकल्प संख्या–463 दिनांक–12.09.2013, संकल्प संख्या–224 दिनांक–22.04.2014, संकल्प संख्या–414 दिनांक–16.07.2014 के आलोक में पूर्व में अप्रशिक्षित कार्यरत प्रारंभिक शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया गया था एवं सभी सरकारी प्रारंभिक स्तरीय प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन का आधार TET परीक्षा के प्राप्तांक रखा गया।

परन्तु अब नये परिप्रेक्ष्य में सरकारी अप्रशिक्षित शिक्षक ODL के माध्यम से NIOS द्वारा प्रशिक्षित किये जा रहे है इन अप्रशिक्षित शिक्षकों को 31 मार्च 2019 तक प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है। अतः सत्र 2018–20 से सरकार द्वारा पूर्व में निर्गत संकल्प संख्या–204 दिनांक–19.06.2008 में निर्धारित चयन की शर्त्तों को निम्नलिखित संशोधन के साथ लागू किया जाता है–

(क) नामांकन हेतु सामान्य अभ्यार्थियों की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता इंटर/+2 में 50 प्रतिशत अंको की होगी तथा अनु०जाति/जन जाति/निशक्तः के लिए 5 प्रतिशत छूट होगी।

(ख) NCTE द्वारा कुल सीट का 3 प्रतिशत निशक्त अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगा तथा 10 प्रतिशत उर्दू विषय के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगा। निशक्तः एवं उर्दू विषय के अभ्यर्थियों के लिए क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण लागू होगा। परन्तु उर्दू विषय के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम 10 प्रतिशत सीट ही क्षैतिज रूप से आरक्षित रहेगी।

(ग) सीट का 50 प्रतिशत विज्ञान तथा 50 प्रतिशत कला/वाणिज्य अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगा।

<u>नामांकन में आरक्षण</u>– नामांकन में राज्य के आरक्षण नियम का पालन किया जायेगा तथा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार/सामान्य प्रशासन विभाग के वर्तमान में प्रभावी नियम/परिनियम आदि का पालन आवश्यक होगा।

<u>चयन का आधार</u>– नामांकन हेतु चयन का आधार दसवीं एवं बारहवीं कक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों का प्रतिशत होगा। दोनों कक्षाओं में प्राप्त प्राप्तांकों के प्रतिशत का औसत निकालते हुए नामांकन हेतु मेधा सूची का निर्माण कोटिवार किया जायेगा। प्राप्तांकों के प्रतिशत का औसत समान रहने पर अधिक योग्यताधारी अभ्यर्थी को चयन में प्राथमिकता दी जायेगी। प्राप्तांकों के प्रतिशत का औसत एवं योग्यता समान रहने पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को चयन में प्राथमिकता दी जायेगी।

उम्र सीमा– नामांकन हेतु उस वर्ष की पहली तारीख को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 17 वर्ष होगी तथा आयु की अधिकतम सीमा नहीं रखी जाएगी।

इस परिप्रेक्ष्य में संकल्प संख्या--संकल्प संख्या–463 दिनांक–12.09.2013, संकल्प संख्या–224 दिनांक–22.04.2014, संकल्प संख्या–414 दिनांक–16.07.2014 एवं संकल्प संख्या–12/प्रशिक्षण–89/2007–204 पटना दिनांक–19.06.2008 द्वारा निर्गत नामांकन संबंधी मार्गदर्शिका को यथासंशोधित समझा जाय।

आदेश–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रतिलिपि सभी पदाधिकारियों को प्रेषित की जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/---
(अरशद फिरोज)
उप सचिव।

ज्ञापांक–12/प्रशि–01/2016................ पटना, दिनांक..........................

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/अपर सचिव, शिक्षा विभाग/राज्य परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक अभियान/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक, उच्च शिक्षा/निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षा परिषद्, पटना/निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, पटना/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
उप सचिव।

ज्ञापांक–12/प्रशि–01/2016................ पटना, दिनांक..........................

प्रतिलिपि– सभी प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, प्रखण्ड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
उप सचिव।

ज्ञापांक–12/प्रशि–01/2016................ पटना, दिनांक..........................

प्रतिलिपि–क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा संस्थान, 15नीलकंठ नगर, नयापल्ली, भुवनेश्वर–751012 (उड़ीसा) को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
उप सचिव।

ज्ञापांक-- 12/प्रशि–01/2016. .... पटना, दिनांक..........................

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि 500 प्रतियाँ प्रकाशित कर उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह०/–
उप सचिव।

ज्ञापांक–12/प्रशि--01/2016.....136 पटना, दिनांक 04/04/2018

प्रतिलिपि–आई०टी०मैनेजर, शिक्षा विभाग को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इसे विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

उप सचिव। 4/4/18

पत्रांक– 12/प्रशि–01/2016...............

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

डॉ० विनोदानन्द झा,
निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण।

सेवा में,

सभी प्राचार्य,
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,
प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय,
प्रखण्ड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान।

पटना, दिनांक ....

विषय :– सत्र 2019–21 में D.El.Ed कोर्स में नामांकन की कार्रवाई प्रारम्भ करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि आपके प्रशिक्षण संस्थान में सत्र 2019–21 में दो वर्षीय D.El.Ed कोर्स में नामांकन की प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ की जाय। यह नामांकन वर्ष 2019–21 में NCTE द्वारा आपके महाविद्यालय में D.El.Ed कोर्स के लिए स्वीकृत सीटों (Intake) के विरूद्ध किया जायेगा।

(2) D.El.Ed कोर्स में नामांकन हेतु सरकार के संकल्प संख्या–136 दिनांक–04.04.2018 में निर्धारित प्रावधानों के आधार पर नामांकन की कार्रवाई की जायेगी।

(3) नामांकन में आरक्षण हेतु राज्य के वर्त्तमान में प्रभावी नियम/परिनियम का अक्षरशः अनुपालन किया जाए।

(4) सभी प्राचार्य अपने–अपने प्रशिक्षण महाविद्यालय हेतु अलग– अलग विज्ञापन प्रकाशित करेंगे। साथ ही सभी प्राचार्य सत्र 2019–21 से ऑनलाईन ही नामांकन प्रारंभ करेंगे तथा अभ्यर्थियों से नामांकन हेतु निर्धारित शुल्क भी ऑनलाईन ही प्राप्त करेंगे।

(5) D.El.Ed कोर्स में नामांकन हेतु प्राप्त सभी आवेदनों का एक समेकित वृहत मेधा सूची तैयार की जायेगी। आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए नियमानुसार कोटिवार मेधासूची तैयार कर प्रकाशित की जायेगी।

(6) नामांकन समिति की बैठक, तिथि निर्धारित कर केवल एक बार ही आयोजित की जायेगी तथा उक्त बैठक में सम्पूर्ण मेधा सूची, जो कोटिवार अलग–अलग तैयार की गई है, पर सभी सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। 18 जून 2019 से 04 जुलाई 2019 की अवधि में महाविद्यालय में नामांकन के दौरान सीट की संख्या के अनुसार निर्मित नामांकन सूची एवं तदुपरान्त क्रमिक रूप से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय (आवश्यकतानुसार) प्रतीक्षक सूची से कोटिवार नामांकन किया जायेगा। एक बार नामांकित अभ्यर्थी का नामांकन शुल्क, किसी भी परिस्थिति में, वापस नहीं किया जायेगा।

(7) सभी प्राचार्य नामांकन प्रक्रियाँ इस प्रकार संचालित करेंगे कि अभ्यर्थियों को नामांकन कराने में कठिनाई न हो तथा महाविद्यालय में स्वीकृत सीटों के विरूद्व 95 प्रतिशत से कम नामांकन न हो।

(8) नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के एक सप्ताह के भीतर सभी नामांकित प्रशिक्षुओं की सूची पूर्ण विवरण के साथ ई–मेल/डाक के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध कराये।

सभी प्रशिक्षण महाविद्यालयों में नामांकन में एकरूपता लाने के उद्देश्य से अनुपालनार्थ निम्नलिखित नामांकन–कैलेंडर जारी किया जा रहा है–

i.	दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करना (आवेदन प्राप्त करना प्रारंभ करने की तिथि)	–	20.04.2019 (शनिवार) तक
ii.	आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि	–	16.05.2019 (गुरूवार) तक
iii.	मेधा सूची का निर्माण एवं नामांकन समिति की बैठक का आयोजन	–	27.05.2019 (सोमवार) तक
iv.	मेधा सूची (सभी समर्पित आवेदन हेतु) का प्रकाशन (महाविद्यालय के वेबसाईट एवं सूचना–पट्ट पर)	–	30.05.2019 (गुरूवार) तक
v.	मेधा सूची पर अभ्यर्थी द्वारा आपत्ति प्राप्त करना	–	08.06.2019 (शनिवार) तक

vi.	प्राप्त आपत्ति के निराकरण के उपरांत अन्तिम मेधा सूची (सीट के अनुसार अभ्यर्थियों की सूची) एवं कोटिवार/विषयवार सम्पूर्ण प्रतीक्षक सूची का प्रकाशन (महाविद्यालय के वेबसाईट एवं सूचना–पट्ट पर) एवं अन्तिम मेधा सूची तथा सम्पूर्ण प्रतीक्षक सूची की हार्ड कॉपी की एक प्रति 18.06.2019 तक जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में समर्पित किया जाना।	–	14.06.2019 (शुक्रवार) तक
vii.	नामांकन हेतु सूचना–प्रेषण (SMS, वेबसाईट एवं ई–मेल पर अनिवार्य रूप से तथा दूरभाष पर अतिरिक्त रूप में)	–	18.06.2019 (मंगलवार) तक
viii.	नामांकन (प्रथम सूची)	–	19.06.2019 से 24.06.2019 तक
ix.	प्रतिक्षक सूची से ऑफलाईन काउन्सिलिंग	–	25.06.2019 (कला/वाणिज्य)
		–	26.06.2019 (विज्ञान)
x.	अंतिम नामांकन–प्रक्रिया	–	27.06.2019 से 04.07.2019 तक
xi.	नामांकन–प्रक्रिया बन्द	–	05.07.2019 से
xii.	कक्षा संचालन की तैयारी (परिचय पत्र, निबंधन, प्रशिक्षण महाविद्यालय के शिक्षक एवं वरीय सत्र के छात्रों से पारस्परिक विचार–विमर्श इत्यादि) एवं शिक्षण कार्य प्रारंभ करना	–	05 जुलाई 2019 से

(9) सभी प्राचार्य ध्यान रखेंगे कि विज्ञापन प्रकाशित करने हेतु पत्र 15.04.2019 तक निश्चित रूप से भेज दें एवं निदेशालय को भी सूचित करें। प्रथम नामांकन में पद रिक्त रहने पर ध्यान देकर प्रतीक्षक सूची का निर्माण करते हुए स–समय सूचना देकर हर हाल में सभी सीटों पर नामांकन नियमानुसार सुनिश्चित करे। D.El.Ed के लिए Online आवेदन प्राप्त करने एवं Online प्रक्रिया में किसी तरह की समस्या आने की स्थिति में प्राचार्य, CTE/DIET, भागलपुर श्री राकेश कुमार मोबाईल नं0–7903694622, प्राचार्य, CTE, सहरसा डॉ० राणा जय राम सिंह मोबाईल नं0–9709617373 एवं प्राचार्य, DIET, नालन्दा श्रीमती रश्मि प्रभा मोबाईल नं०–9835043230 से विमर्श कर आपसी सहयोग से समस्या का तत्काल समाधान प्राप्त करेंगे।

(10) नामांकन के लिए प्रति आवेदक 100 रूपया मात्र शुल्क ली जाएगी। इसके अतिरिक्त आवेदक से इस हेतु किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस राशि में से प्रोसेसिंग के सभी व्यय नियमानुसार किए जाएँगे। Online आवेदन एवं अन्य Online प्रक्रिया प्राथमिकता के आधार पर SBI के माध्यम से कराया जाए। विशेष परिस्थिति में अगर किसी प्राईवेट एजेंसी से उक्त कार्य कराने की बाध्यता होती है तो वैसी स्थिति में एजेंसी से ससमय कार्य निष्पादन एवं न्यूनतम व्यय सुनिश्चित कराते हुए अनुबंध कर लिया जाए।

कृपया, ऊपर वर्णित निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन
ह०/–
(विनोदानन्द झा)
निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण।

ज्ञापांक– 12/प्रशि–01/2016.................. पटना, दिनांक–.........................

प्रतिलिपि–सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. कृपया नामांकन समिति की बैठक में निर्धारित तिथि को अनिवार्य रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित किया जाए। अतिविशिष्ट परिस्थितियों में अनुपस्थित रहने पर अपने स्थान पर किसी अन्य पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया जाए। साथ ही बैठक के उपरांत वृहत मेधा सूची के अन्त में हस्ताक्षर कर उसे बंद घोषित कर दिया जाए।

ह०/–
निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण।

ज्ञापांक– 12/प्रशि–01/2016.................. पटना, दिनांक–.........................

प्रतिलिपि– निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना, सैदपुर, पटना/राज्य परियोजना निदेशक बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद, इन्टरमीडियट कॉउन्सिल भवन, पटना/निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, महेन्द्रू, पटना/सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण।

ज्ञापांक– 12/प्रशि–01/2016........202 पटना, दिनांक–..........15/4/19

प्रतिलिपि– आई० टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह० 15/4/19

निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण।

पत्रांक–12/प्रशि०–01/2016....................

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

डॉ० विनोदानन्द झा,
निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण।

सेवा में,

सभी प्राचार्य,
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,
प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय,
प्रखण्ड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान।

पटना, दिनांक..............................

विषयः– **सत्र 2019–21 में D.El.Ed कोर्स में नामांकन के संदर्भ में अवधि विस्तार के संबंध में।**

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके प्रशिक्षण संस्थानों में सत्र 2019–21 में दो वर्षीय D.El.Ed कोर्स में नामांकन की प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ किये जाने हेतु विभागीय ज्ञापांक 202 दिनांक 15.04.2019 द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश के साथ नामांकन कैलेन्डर जारी किया गया है।

कतिपय प्राचार्य–डायट/पी०टी०ई०सी०/बाईट ने यह सूचित किया है कि अभी भी सत्र 2019–21 में दो वर्षीय D.El.Ed कोर्स में नामांकन हेतु कई सीटें रिक्त रह गई हैं।

अतः ऐसी स्थिति में निदेश दिया जाता है कि जिन–जिन डायट/पी०टी०ई०सी०/बाईट संस्थानों में नामांकन हेतु सीट रिक्त रह गयी है उन संस्थानों में उक्त सभी रिक्तियों के विरूद्व योग्य अभ्यर्थियों का दिनांक 25.07.2019 तक अथवा पूर्व ही काउंसिलिग कराकर रिक्त सीटों पर नामांकन कार्य नियमानुसार पूर्ण किया जाय एवं ई–मेल द्वारा सूचना उपलब्ध करायी जाय। साथ ही उक्त रूप से नामांकित प्रशिक्षुओं हेतु अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन कर सभी पाठ्यक्रम ससमय पूर्ण कर लिया जाए।

विश्वासभाजन
ह०/–

(विनोदानन्द झा)
निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण।

ज्ञापांकः–12/प्रशि०–01/2016....................................... दिनांकः–.......................................

प्रतिलिपिः–सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–

निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण।

ज्ञापांकः–12/प्रशि०–01/~~2016~~ 377 दिनांकः– 5/7/19

प्रतिलिपिः–आई० टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

5/7/19

निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण।

E: Nir/Pra.let 170

पत्रांक– 12/प्रशि–01/2016......315

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

डॉ० विनोदानन्द झा,
निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण।

सेवा में,

सभी प्राचार्य,
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET),
प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय (PTEC),
प्रखण्ड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (BITE)।

पटना, दिनांक 16/12/2020

विषयः–सत्र 2020–22 में D.El.Ed कोर्स में नामांकन की कार्रवाई प्रारम्भ करने के संबंध में।

महाशया/महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निदेशानुसार कहना है कि कोविड–19 महामारी से उत्पन्न स्थिति के फलस्वरूप आपके प्रशिक्षण संस्थान में सत्र 2020–2022 में दो वर्षीय D.El.Ed कोर्स में नामांकन की प्रक्रिया में अत्यधिक विलम्ब हो चुका है तथा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा नामांकन हेतु टेस्ट लेने में कतिपय कारणों से असमर्थता व्यक्त की गई है। अतएव वर्तमान में विषयांकित सत्र में अभ्यर्थियों का नामांकन पूर्व की प्रक्रिया के अनुसार करने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है। आपको निदेश दिया जाता है कि सत्र 2020–2022 में दो वर्षीय D.El.Ed कोर्स में नामांकन की प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ की जाय। यह नामांकन वर्ष 2020–22 में NCTE द्वारा आपके संस्थान/महाविद्यालय में D.El.Ed कोर्स के लिए स्वीकृत सीटों (Intake) के विरूद्ध किया जायेगा।

(2) D.El.Ed कोर्स में नामांकन हेतु सरकार के संकल्प संख्या–12/प्रशिक्षण–89/07–204 दिनांक– 19.06.2008 में नामांकन हेतु निर्धारित प्रावधानों में निम्नालिखित संशोधन के आधार पर नामांकन की कार्रवाई की जायेगीः–

(क) नामांकन हेतु सामान्य अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ता इंटर+2 में 50 प्रतिशत अंकों की होगी तथा अनु० जाति/अनु० जनजाति/निःशक्त के लिए 05 प्रतिशत छूट होगी।

(ख) NCTE द्वारा स्वीकृत कुल सीट का 05 (पाँच) प्रतिशत निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगा। निःशक्त एवं उर्दू अभ्यर्थियों के लिए क्रमशः 05 (पॉच) प्रतिशत एवं 10 (दस) प्रतिशत क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण लागू होगा।

(ग) NCTE द्वारा स्वीकृत कुल सीट का 50 (पचास) प्रतिशत विज्ञान तथा 50 प्रतिशत कला/वाणिज्य अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगा। स्वीकृत सीट की संख्या विषम होने पर 50 प्रतिशत की गणना में एक पद विज्ञान को अधिक दिया जायेगा। उर्दू विषय की गणना कला/वाणिज्य विषय के सीट के विरूद्ध किया जायेगा।

(3) **नामांकन में आरक्षण**–नामांकन में बिहार राज्य के आरक्षण नियम का अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार/सामान्य प्रशासन विभाग के वर्तमान में प्रभावी नियम/परिनियम आदि का पालन आवश्यक होगा।

(4) **चयन का आधार–** नामांकन हेतु चयन का आधार दसवीं एवं बारहवीं कक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों का प्रतिशत होगा। दोनों कक्षाओं के प्राप्त प्राप्तांकों के प्रतिशत का औसत निकालते हुए नामांकन हेतु मेधासूची का निर्माण कोटिवार किया जायेगा। प्राप्तांकों के प्रतिशत का औसत समान रहने पर अधिक योग्यताधारी अभ्यर्थी को चयन में प्राथमिकता दी जायेगी। प्राप्तांकों के प्रतिशत का औसत योग्यता तथा जन्म तिथि समान रहने पर अभ्यर्थी के अंग्रेजी वर्णमाला में लिखे जाने वाले नाम के वर्णाक्षर के आधार पर जो नाम वर्णाक्षर में पहले आएँगे उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी।

उर्दू अभ्यर्थियों के लिए सर्वप्रथम मौलवी योग्यताधारी अभ्यर्थियों के चयन पर विचार किया जायेगा। मौलवी योग्यताधारी अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की स्थिति में वैसे अभ्यर्थियों के चयन पर विचार किया जायेगा जिन्होनें उर्दू विषय को ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ा हो तथा उन्होंने उर्दू में नामांकन हेतु अधीच्छा दी हो। उपर्युक्त दोनों की अनुपलब्धता की स्थिति में वैसे अभ्यर्थियों के चयन पर विचार किया जायेगा जिन्होंने अहिन्दीभाषी अभ्यर्थियों की तरह उर्दू पढ़ा हो।

(5) **उम्र सीमा–** नामांकन हेतु नामांकन वर्ष के जनवरी माह की पहली तारीख को अभ्यर्थी का न्यूनतम उम्र 17 (सतरह) वर्ष होगी तथा आयु की अधिकतम सीमा नहीं रखी जायेगी।

(6) समयाभाव के कारण सत्र 2020–2022 में नामांकन हेतु ऑनलाईन आवेदन करने के लिए निदेशालय द्वारा सभी राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए एक ही विज्ञापन प्रकाशित की जा रही है। संबंधित राजकीय प्रशिक्षण संस्थान अलग–अलग विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेंगे।

(7) सभी प्राचार्य अपने–अपने प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय में नामांकन हेतु संचालित वेबसाईट (पूर्व वर्ष की भाति) तुरंत अद्यतन कर लेंगे जिससे अभ्यर्थियों को ऑनलाईन नामांकन हेतु आवेदन करने तथा निर्धारित शुल्क जमा करने में कोई कठिनाई नहीं हो।

(8) D.El.Ed कोर्स में नामांकन हेतु प्राप्त सभी आवेदनों की एक समेकित वृहत मेधा सूची तैयार की जायेगी। आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए नियमानुसार कोटिवार मेधासूची तैयार कर प्रकाशित की जायेगी।

(9) नामांकन समिति की बैठक (तिथि निर्धारित कर) केवल एक बार ही आयोजित की जायेगी तथा उक्त बैठक में सम्पूर्ण मेधा सूची, जो कोटिवार अलग–अलग तैयार की गई है, पर सभी सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। 29 जनवरी 2021 से 15 फरवरी 2021 तक की अवधि में संस्थान/महाविद्यालय में नामांकन के दौरान सीट की संख्या के अनुसार निर्मित नामांकन सूची एवं तदुपरान्त क्रमिक रूप से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय (आवश्यकतानुसार) प्रतीक्षक सूची से कोटिवार नामांकन किया जायेगा। एक बार नामांकित हो जाने पर नामांकित अभ्यर्थी का नामांकन शुल्क, किसी भी परिस्थिति में, वापस नहीं किया जायेगा।

(10) सभी प्राचार्य नामांकन प्रक्रिया इस प्रकार संचालित करेंगे कि अभ्यर्थियों को नामांकन कराने में कठिनाई नहीं हो तथा संस्थान/महाविद्यालय में स्वीकृत कुल सीटों के विरूद्ध 95 प्रतिशत से कम नामांकन नहीं हो।

(11) नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के एक सप्ताह के भीतर प्राचार्य सभी नामांकित प्रशिक्षुओं की सूची पूर्ण विवरण के साथ ई–मेल/डाक के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

(12) **नामांकन कैलेंडर–सभी प्रशिक्षण महाविद्यालयों में नामांकन में एकरूपता लाने के उद्देश्य से अनुपालनार्थ निम्नलिखित नामांकन–कैलेंडर जारी किया जा रहा है :–**

i.	**आवेदन प्राप्त करने की प्रारंभ तिथि**	–	**21.12.2020 (सोमवार) से**
ii.	**आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि**	–	**04.01.2021 (सोमवार) तक**
iii.	**मेधा सूची का निर्माण एवं नामांकन समिति की बैठक का आयोजन**	–	**11.01.2021 (सोमवार)**

iv. मेधा सूची (सभी समर्पित आवेदन हेतु) का प्रकाशन–13.01.2021 (बुधवार) तक (महाविद्यालय के वेबसाईट एवं सूचना–पट्ट पर)

v. मेधा सूची पर अभ्यर्थी द्वारा आपत्ति प्राप्त करना – 20.01.2021 (बुधवार) तक

vi. प्राप्त आपत्ति के निराकरण के उपरांत अन्तिम मेधा सूची (सीट के अनुसार अभ्यर्थियों की सूची) एवं कोटिवार/विषयवार सम्पूर्ण प्रतीक्ष सूची का प्रकाशन (महाविद्यालय के वेबसाईट एवं सूचना–पट्ट पर) एवं अन्तिम मेधा सूची तथा सम्पूर्ण प्रतीक्षा सूची की हार्ड कॉपी की एक प्रति 08.02.2021 तक सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में समर्पित किया जाना। – 27.01.2021 (बुधवार) तक

vii. नामांकन हेतु सूचना–प्रेषण (SMS, वेबसाईट एवं ई–मेल पर अनिवार्य रूप से तथा दूरभाष पर अतिरिक्त रूप में) – 29.01.2021 (शुक्रवार) तक

viii. नामांकन (प्रथम सूची एवं तद्नुसार प्रतीक्षक सूची दोनों के आधार पर) –15.02.2021 (सोमवार) तक

ix. नामांकन–प्रक्रिया बन्द –16.02.2021 (मंगलवार) तक

x. कक्षा संचालन की तैयारी –17.02.2021 से 18.02.2021 तक

xi. कक्षा संचालन (फेश टू फेश या ऑनलाईन) –19.02.2021 (शुक्रवार)

कृपया ऊपर वर्णित दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाए एवं ससमय नियमों के पालन एवं पारदर्शिता के साथ इसे सम्पन्न किया जाए। किसी बिन्दु पर अस्पष्ट होने पर मार्गदर्शन में समय नहीं लगाएँगे बल्कि फोन पर सम्पर्क कर समाधान करेंगे।

विश्वासभाजन

16/12/20

(डॉ० विनोदानन्द झा)
निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण।

ज्ञापांक– 12/प्रशि–01/2016....315 पटना, दिनांक–16/12/2020

प्रतिलिपि–सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. कृपया नामांकन समिति की बैठक में निर्धारित तिथि को अनिवार्य रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। अतिविशिष्ट परिस्थितियों में अनुपस्थित रहने पर अपने स्थान पर किसी अन्य पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया जाए। साथ ही बैठक के उपरांत वृहत मेधा सूची के सभी पृष्ठ पर हस्ताक्षर करते हुए अंतिम पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर उसे बंद घोषित कर दिया जाए।

16/12/20

निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण।

ज्ञापांक– 12/प्रशि–01/2016.....315 पटना, दिनांक–16/12/2020

प्रतिलिपि– निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना, सैदपुर, पटना/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद, इन्टरमीडियट कॉउन्सिल भवन, पटना/निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, महेन्द्रू, पटना/सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/12/20

निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण।

ज्ञापांक– 12/प्रशि–01/2016.....315 पटना, दिनांक–16/12/2020

प्रतिलिपि– आई० टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

16/12/20

निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण।

पत्रांक–12/विविध–11/2016..................

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

डॉ० विनोदानन्द झा

निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण

सेवा में,

सभी प्राचार्य,

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET)

प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय (PTEC)

प्रखण्ड अध्यापक शिक्षा संस्थान (BIET)

पटना, दिनांक:–..........................

विषय– सत्र 2021–2023 के डी.एल.एड. कोर्स में नामांकन कैलेण्डर में संशोधन करने के संबंध में।

प्रसंग– पत्रांक–274 दिनांक–29.07.2021 तथा पत्रांक–323 दिनांक–19.08.2021

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में प्रसंगाधीन पत्र का निदेश करें। डी०एल०एड० 2021–2023 में नामांकन हेतु वेबसाईट एवं आवेदन भरने के लिए लिंक देने में कतिपय संस्थानों में उत्पन्न कठिनाई को देखते हुए प्रसंगाधीन पत्र द्वारा नामांकन हेतु निर्गत कैलेण्डर में निम्नलिखित संशोधन करते हुए आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक–10.09.2021 तक विस्तारित किया जाता है। अब नामांकन प्रक्रिया निम्नलिखित कैलेण्डर के अनुसार पूरी की जाएगी–

(i) आवेदन प्राप्त करने की प्रारम्भ तिथि	–	18.08.2021 (बुधवार) से।
(ii) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि	–	10.09.2021 (शुक्रवार) तक।
(iii) मेधा सूची का निर्माण एवं नामांकन समिति की बैठक का आयोजन	–	18.09.2021 (शनिवार)।
(iv) मेधा सूची (सभी समर्पित आवेदन हेतु) का प्रकाशन	–	22.09.2021 (बुधवार)।
(v) मेधा सूची पर अभ्यर्थियों द्वारा आपत्ति प्राप्त करना	–	29.09.2021 (बुधवार) तक।
(vi) प्राप्त आपत्ति के निराकरण के उपरान्त अंतिम मेधा सूची (सीट के अनुसार अभ्यर्थियों की सूची) एवं कोटिवार/ विषयवार सम्पूर्ण प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन (संस्थान के वेबसाइट एवं सूचना पट्ट पर) तथा अंतिम मेधा सूची एवं सम्पूर्ण प्रतीक्षा सूची की हार्ड कॉपी की प्रति दिनांक–16.09.2021 तक जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में समर्पित किया जाना	–	06.10.2021 (बुधवार) तक।
(vii) नामांकन हेतु सूचना प्रेषण (SMS, ई–मेल एवं संस्थान के वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से तथा दूरभाष पर अतिरिक्त रूप में)	–	9.10.2021 (शनिवार) तक।

D/R&T All file/Admission 2021-2023

(viii) नामांकन (प्रथम सूची एवं तदनुसार प्रतीक्षक सूची दोनों के आधार पर)	–	03.11.2021 (बुधवार) तक।
(ix) नामांकन प्रक्रिया बंद	–	04.11.2021 (गुरुवार) तक।
(x) कक्षा संचालन की तैयारी	–	05.11.2021 से 06.11.2021 तक। (शुक्रवार एवं शनिवार)
(xi) कक्षा संचालन (फेश टू फेश या ऑनलाईन)	–	08.11.2021 (सोमवार)।

प्रसंगाधीन पत्र की शेष कंडिकाएँ पूर्वत रहेगी।

विश्वासभाजन
ह०/–
(विनोदानन्द झा)
निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण

ज्ञापांक–12/विविध–11/2016.............................. पटना, दिनांक– ....
प्रतिलिपि–सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण

ज्ञापांक–12/विविध–11/2016–335 पटना, दिनांक– 23/08/2021
प्रतिलिपि–आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

23/8/21
निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण